

श.वा.क 87/2024

हरीश नराम स्टेट

अ.प्यारा 88, 188 R.Aet

15/7/25 पञ्जावली चेष्टा दुई। वकीलवादी
अनुपस्थित। दोराने पुनर्वादी वकील
वादी को न्यायालय में हाजिर होने
के लिए बार-बार आवाजे लगवाने
के बावजूद अस्थायी न्यायालय समय
तक हाजिर नहीं होने से बियारापीन
उक्त बार अ.प्यारा 88, 188, 209
R.Aet का वकीलवादी की अरम
पेशी / अरम हाजिरी में स्वीकृत की
जाती है। निर्णय लरे डेजलाप लुनाला
गना। पञ्जावली अंगल हुमार होकर
गम्बर के नाम ही अस्थायी स्टेट
द्वारा ज.प.न आयेहा 7 सि. 11 CPC
का चेष्टा किया, इसे शामिल मिलत
किया।

सहायक कलेक्टर

सिरोही (राज.)